स्थापित : 1966

फोन : 01332–262705
Email ID : ssd.degree@gmail.com

Sri Sanatan Dharam Prakash Chand Kanya Snatkottar Mahavidyalaya

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रूड़की – 247667 (हरिद्वार) उत्तराखण्ड

(सम्बद्ध हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल)

पत्रांक SD/2021/

दिनांक 26-08-2021

सूचना

कोविड–19 से प्रभावित 21 वर्ष की आयु के पात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उन्हे मुख्यमंत्री वात्साल्य योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2021–22 में देय सभी लाभ अनुमन्य किये जायेंगे। महाविद्यालय में बी0ए0/बी0एससी0 कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुंकि है।

अतः मुख्यमंत्री वात्साल्य योजना के पात्र सभी छात्रायें प्रवेश लेने हेतु महाविद्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रवेश प्रक्रिया के मध्य कार्यालय से सम्पर्क करके आवश्यक विवरण जमा करा सकती है ताकि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अन्तर्गत अनुमन्य लाभों को प्रदान करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

डा0 अर्चना मिश्रा
प्राचार्या

प्राचार्या
श्री० स०ध०प्र०च० कन्या
स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुड़की

उत्तराखण्ड राज्य

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
नवाड़खेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी (नैनीताल)
☎ 05946–240666, 240777
E-Mail: hedegreeplan@gmail.com

पत्रांकः डिग्री प्लान/ 2154 /2021–22, दिनांकः 24 अगस्त, 2021

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्त राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय/
अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय उत्तराखण्ड।

विषयः मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 869/XXIV-C-4/2021-25(09)/2021 दिनांक 12 अगस्त, 2021 एवं शासनादेश 923/XXIV-C-4/2021-25(09)/2021 दिनांक 13 अगस्त, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य के समस्त शासकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में महिला एवं बाल विकास विभाग के शासनादेश सं0 143/XVII(2)/2(म0क0)/2021 दिनांक 17 जून, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप 21 वर्ष की आयु तक के पात्र छात्र–छात्राओं को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत विभागीय शासनादेश दिनांक 923/XXIV-C-4/2021-25(09)/2021 दिनांक 13 अगस्त, 2021 के अनुक्रम में अनुमन्य लाभ एवं सुविधाएं प्रदान की जानी है।

सूच्य है कि राज्य के समस्त शासकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में वर्तमान सत्र (2021–22) में नामांकन/प्रवेश आदि की प्रक्रिया गतिमान है अथवा निकट भविष्य में शुरू होना है। उक्त के क्रम में शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि आप अपने संस्थानों में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के समस्त शासनादेशों/निर्देशों/सूचनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सूचना पट्ट पर चस्पा करने के साथ अन्य वांछित प्रयास (सोशल मीडिया/वेबसाइट आदि के माध्यम से) करते हुए छात्र–छात्राओं के मध्य अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे पात्र छात्र–छात्राएं इसका लाभ ले सकें।

तदक्रम में अपेक्षित है कि ऐसे प्रभावित अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्राथमिकता प्रदान करेंगे। ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिनका नाम बाल संरक्षण इकाई द्वारा जनपद स्तर पर प्रदत्त सूची में नाम हो, उनके अभिलेखों की पुष्टि (सहानुभूति पूर्वक) करते हुए उनको संस्था में प्रवेश प्रदान करेंगे, आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु अतिरिक्त समय दिया जाय तथा ऐसे प्रवेशित छात्र–छात्रा के चिन्हीकरण हेतु प्रवेश पंजिका में पृथक कॉलम में **'मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंतर्गत प्रवेश'** अवश्य अंकित करेंगे। बाल संरक्षण इकाई द्वारा जनपद स्तर पर प्रदत्त सूची में नाम होने की स्थिति में जनपद की सूची का क्रमांक अवश्य लिखेंगे।

ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिनका नाम बाल संरक्षण इकाई द्वारा जनपद स्तर पर प्रदत्त सूची में नाम न होने की स्थिति में, उनके अभिलेखों की पुष्टि (सहानुभूति पूर्वक) करते हुए उन्हें प्रवेश हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करेंगे तथा उनके वांछित संगत अभिलेखों को तैयार कर कर संबंधित उपजिलाधिकारी को सूचित करेंगे तथा ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के समस्त वांछित विवरणों सहित समस्त सूचना जनपद नोडल अधिकारी के माध्यम से निदेशक उच्च शिक्षा (hedegreeplan@gmail.com) तथा नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना (उच्च शिक्षा), डॉ0 दीपक कुमार पाण्डेय को ईमेल (hevatsalya@gmail.com) के माध्यम से अवगत कराएंगे। ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय प्रदान करते हुए, उनके लिए वह सीट आरक्षित मानी जाय, जब तक कि उनके द्वारा स्वयं प्रवेश लेने से मना न कर दिया जाय, जिस हेतु दूरभाष के माध्यम से समन्वय स्थापित कर शीघ्र निस्तारण किया जाय।

क्रमशः......2/——

Scanned with CamScanner

संस्था में किसी विषय/पाठ्यक्रम में सीट अनुपलब्धता की स्थिति में स्वयं किसी निकटवर्ती महाविद्यालय/संस्थान से संपर्क करते/सूचित करते हुए,प्रवेश के संबंध में अनुशंसा/संस्तुति दी जाय। ऐसे प्रवेशित छात्र–छात्रा के चिन्हीकरण हेतु प्रवेश पंजिका में पृथक कॉलम में **'मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंतर्गत प्रवेश'** अवश्य अंकित करेंगे।

संस्थान में छात्रावास उपलब्धता की स्थिति में और प्रवेशित छात्र–छात्रा द्वारा उक्त की मांग किए जाने की दशा में संबंधित छात्र–छात्रा को **निशुल्क छात्रावास की भी सुविधा प्रदान की जाएगी।**

पारम्परिक विषय/पाठ्यक्रम हेतु **'मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंतर्गत प्रवेशित छात्र–छात्रा'** (व्यवसायिक/स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम को छोड़कर) जिसकी उम्र 21 वर्ष या उससे कम हो से **संस्था में किसी भी कक्षा/पाठ्यक्रम (व्यवसायिक/स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम को छोड़कर) में प्रवेश हेतु पंजीकरण शुल्क (अधिकतम पाँच रूपए) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क (परीक्षा आवेदन शुल्क आदि) नहीं लेंगे।** ऐसे अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया अधिक से अधिक सुगम तथा मानवीय हो। संबंधित प्राचार्य गण से अपेक्षा है कि या तो स्वयं अथवा जनपद नोडल अधिकारी के माध्यम से इम्पावर्ड कमेटी द्वारा संस्तुत जनपद स्तर की अद्यतन सूची जिला परिवीक्षा अधिकारी/संबंधित प्रशासन से अवश्य प्राप्त कर लें। **'मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंतर्गत'** पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय शासनादेश के अनुरूप अन्य अनुमन्य लाभ/छूट/सुविधा आदि के संबंध में यथा समय पृथक से निर्देश दिए जाएंगे।

प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संबंधित संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्र–छात्रा के समस्त वांछित विवरणों सहित तथा संस्थान द्वारा दिए गए सुविधा/शुल्क छूट आदि की समस्त सूचना जनपद नोडल अधिकारी के माध्यम से निदेशक उच्च शिक्षा (hedegreeplan@gmail.com) तथा नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना (उच्च शिक्षा), डॉ0 दीपक कुमार पाण्डेय को ईमेल (hevatsalya@gmail.com) के माध्यम से अवगत कराएंगे।

उक्त के क्रम में संगत प्रावधानों के अनुरूप संबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का क्रियान्वायन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। समस्त सम्मानित प्राचार्य गणों का इस योजना के संवेदी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अभिरूचि अपेक्षित है, किसी भी लापरवाही की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्राचार्य का होगा।

संलग्नकः समस्त वांछित शासनादेशों की प्रति।

भवदीय

(डा0 पी0 के0 पाठक)
निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल (नैनीताल)
तद्दिनांकित

पृ0सं0:
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा को मा0 मंत्री महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा को मा0 अपर मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा को मा0 प्रभारी सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. डॉ0 दीपक कुमार पाण्डेय, नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना (उच्च शिक्षा), क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा देहरादून को आवश्यक समन्वय एवं कार्यवाही हेतु।

(डा0 पी0 के0 पाठक)
निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल (नैनीताल)

Scanned with CamScanner

कोविड–19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु से प्रभावित बच्चों को आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र

(शासनादेश संख्या–136/XVII(2)/02(म0क0)/2021 दिनांक 11 जून, 2021 के अन्तर्गत)

1. बच्चे का नाम...
2. जन्मतिथि एवं आयु (जन्म प्रमाण पत्र अथवा आयु सम्बन्धी अन्य दस्तावेज की छायाप्रति)...
3. धर्म...
4. जाति...
5. आधार कार्ड न0 (यदि हो तो)...
6. स्थायी पता(स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)...
7. वर्तमान पता...
8. शैक्षिक योग्यता...कक्षा...............
9. विद्यालय/महाविद्यालय का नाम...
10. बच्चा स्वस्थ्य है अथवा दिव्यांग...
11. पिता का नाम...
    A) जन्मतिथि/आयु...
    B) जीवित/मृतक...
    C) यदि मृतक तो मृत्यु का दिनांक...
    D) मृत्यु का कारण...
    E) मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें...
12. पिता का व्यवसाय...
13. पिता की वार्षिक आय (समस्त स्रोतो से)...
14. पिता का आधार कार्ड न0...
15. माता का नाम...
    A) जन्मतिथि/आयु...
    B) जीवित/मृतक...
    C) यदि मृतक तो मृत्यु का दिनांक...
    D) मृत्यु का कारण...
    E) मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें...
16. माता का व्यवसाय...
17. माता की वार्षिक आय (समस्त स्रोतो से)...
18. माता का आधार कार्ड न0...
19. वर्तमान में बच्चा किसके साथ रह रहा है...
20. बच्चे से उसका सम्बन्ध व पूर्ण पता मोबाइल न0 सहित (स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)...

Scanned with CamScanner

संरक्षक का विवरण

21. यदि बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो संरक्षक का नाम.................

....

22. बच्चे से सम्बन्ध ....

23. आयु..

24. लिंग..

25. संरक्षक का आधार कार्ड नं0..........................

26. संरक्षक का व्यवसाय..............................

27. संरक्षक का पता मोबाइल नं0 सहित (स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)..........

....

बैंक विवरण

28. बच्चे के माता / पिता / संरक्षक के साथ राष्ट्रीकृत बैंक खाता सं0..............................

29. बैंक का नाम.................................... IFSC कोड..............................

30. बैंक का पता (बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें)..............................

सम्पत्ति का विवरण

31. बच्चे के माता / पिता के नाम अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं	सम्पत्ति का प्रकार (कृषि, आवासीय, व्यवसायिक)	क्षेत्रफल	सम्पत्ति जहां स्थित है उसका पूर्ण पता	सम्पत्ति किसके नाम है।	बच्चे से उसका सम्बन्ध

32. चल सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं	सम्पत्ति का प्रकार (वाहन, बैंक खाता आदि)	सम्पति का विवरण (यथा बैंक खाते का विवरण, वाहन का प्रकार व रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि	चल सम्पत्ति का मूल्य	चल सम्पत्ति किसके नाम है।	बच्चे से उसका सम्बन्ध

दिनांक..................................

आवेदक का नाम..............................

पता..

मो0नं0..

Scanned with CamScanner